बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: संकल्प ::

पटना–15 दिनांक.....

श्री सुधीर कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–475/2024, (787/2019), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के निगरानी टीम द्वारा दिनांक–21.08.2019 को 90,000/– (नब्बे हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना भेजे जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं०–36/2019, दिनांक–21.08.2019, धारा–7(a) भ्र०नि०अधि० –1988 (संशोधित नियम–2018) दर्ज होने की सूचना खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4633, दिनांक–28.09.2019 द्वारा उपलब्ध कराते हुए विधि सम्मत अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–14893, दिनांक–31.10.2019 द्वारा श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9 (1) (क) एवं (ग) तथा 9 (2) के प्रावधानों के तहत न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक–21.08.2019 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया।

2. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5510, दिनांक–21.11.2019 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध अवैध राशि की उगाही हेतु अपने पद का दुरूपयोग करने से संबंधित आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ। उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–942, दिनांक–17.01.2020 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

3. उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में सम्प्रति काराधीन होने के कारण साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण देने में असमर्थता जाहिर करते हुए काराधीन अवधि में स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में विभागीय पत्रांक–4620, दिनांक–12.05.2020 द्वारा उन्हें कारा अवधि तक स्पष्टीकरण से मुक्त रखने तथा कारा से मुक्त होने के पश्चात 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। परन्तु कारा से मुक्त होने के पश्चात भी उनका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा।

4. फलतः पूरे मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार द्वारा दिनांक–25.06.2020 को कारा से मुक्त होने तथा स्पष्टीकरण समर्पित करने का समय दिये जाने के बावजूद भी इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। चूँकि मामला निगरानी टीम द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने से संबंधित है। अतएव मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4169, दिनांक–25.03.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

5. प्रधान सचिव–सह–जाँच आयुक्त, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–532, दिनांक–28.04.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित पाया गया।

6. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–8667, दिनांक–16.05.2025 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा अपना लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन (दिनांक–25.07.2025) समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन में मुख्य रूप से कहा गया है कि :–

(i) इनके विरुद्ध यह विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 (2) का उल्लंघन करते हुए प्रारंभ की गयी। वर्तमान मामले में उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया और स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होने के बाद ही अनुशासनिक प्राधिकार औपचारिक कार्यवाही शुरू कर सकता है। इनके विरुद्ध इस मामले में आरोप का गठन इस प्राधिकारी द्वारा किया गया है, जो इनका नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है। इस आधार पर श्री कुमार द्वारा पूरी विभागीय कार्यवाही को दोषपूर्ण बताया गया है।

(ii) आरोप सिद्ध करने के दौरान कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार विभागीय कार्यवाही में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 (14) का उल्लंघन है।

(iii) संचालन पदाधिकारी ने केवल गवाहों के बयान पर ध्यान दिया, इन बयानों का जिरह में खंडन भी किया गया, लेकिन जाँच पदाधिकारी ने अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान को सत्य पाया और इनके खिलाफ आरोप साबित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

(iv) जाँच पदाधिकारी द्वारा आपराधिक जांच के दौरान एकत्रित कथित साक्ष्य को विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य नहीं माना जा सकता है और इस आधार पर कोई दंड नहीं दिया जा सकता है। FIR पर आरोप सिद्ध नहीं होते क्योंकि FIR कोई ठोस सबूत नहीं है बल्कि यह संदेह पैदा करता है और संदेह होने पर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं।

(v) परिवादी श्री गोवर्द्धन सिंह के विपत्रों का भुगतान लंबित नहीं रखा गया बल्कि निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि अपर्याप्त होने के कारण भुगतान लंबित रहा जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

(vi) पोस्ट ट्रैप मेमोरेंडम में उल्लेखित गवाही श्री विनय कुमार सिंह एवं श्री सुरेश राम, शिकायतकर्ता, श्री गोवर्द्धन सिंह के मित्र हैं।

(vii) संचालन पदाधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही में मुख्य गवाह श्री गोवर्द्धन सिंह, शिकायतकर्त्ता से पूछताछ/प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

7. श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन, आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि :–

(i) श्री कुमार द्वारा विभागीय कार्यवाही एवं उसकी प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया और कहा गया कि उनके विरुद्ध आरोप–पत्र का गठन/विभागीय कार्यवाही में अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं है, जो असत्य है क्योंकि श्री कुमार के विरुद्ध आरोप–पत्र का गठन एवं विभागीय कार्यवाही संचालन के प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(ii) श्री कुमार द्वारा लिखित अभिकथन में उठाये गये अन्य बिन्दुओं के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में विस्तृत उल्लेख करते हुए अंकित किया है कि :–

श्री गोवर्द्धन सिंह द्वारा राज्य खाद्य निगम से निर्गत STR 90096926 दिनांक–14.05.2019 के आलोक में कुल–1433.02 क्वीं० चावल आपूर्ति करने के पश्चात् भुगतेय राशि रू० 40,11,166.28/– का भुगतान हेतु दिनांक–27.06.2019 को विपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आलोक में कार्यालय द्वारा दिनांक–04.07.2019 को निर्गत PCP (Purchase-cum-Payment) के बावजूद आरोपित पदाधिकारी द्वारा भुगतान नहीं किया गया। परिवादी श्री सिंह द्वारा पुनः दिनांक–03.08.2019 को कार्यालय में आवेदन हस्तगत कराया गया, जिसे अन्य लाभुकों के विपत्र के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें से श्री सिंह के विपत्र को छोड़कर अन्य लाभुकों के भुगतान की कार्रवाई की गयी। आरोपित पदाधिकारी का यह कहना कि परिवादी द्वारा समर्पित विपत्रों के विरूद्ध भुगतान हेतु निगम द्वारा पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं कराया गयी, स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु निर्गत कार्य योजना एवं मार्गदर्शिका की कंडिका–3 (vi) के अनुसार विधिवत जाँचोपरांत पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से 07 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना अनिवार्य था तो ऐसी स्थिति में संबंधित जिला के जिला प्रबंधक द्वारा निगम मुख्यालय से पर्याप्त राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया जाना चाहिए था, परन्तु आरोपित पदाधिकारी न तो ऐसा किया गया और न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। लंबी अवधि तक परिवादी के भुगतान को लंबित रखने संबंधी तथ्य अवैध राशि की मांग किये जाने की संभावना को बल प्रदान करता है, जिसकी पुष्टि निगरानी विभाग, बिहार, पटना द्वारा की गयी कार्रवाई के तहत श्री कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने से होती है। प्रस्तुत मामले में गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण में भी सभी गवाह द्वारा एकमत् से स्वीकार किया गया कि श्री कुमार के विरुद्ध परिवादी के शिकायत के पश्चात् निगरानी विभाग के धावा दल ने इन्हें रू.90,000/– रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। परिवादी के लंबित भुगतान के एवज में श्री कुमार द्वारा अवैध राशि की मांग की गयी। जिसके कारण परिवादी द्वारा निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज की गयी, कार्रवाई में श्री कुमार को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। फलतः श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाया गया।

8. श्री कुमार द्वारा लिखित अभिकथन में उल्लेखित तथ्यों का विश्लेषण पूर्व में भी संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में किया गया एवं आरोप पत्र में अंकित गवाहों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण करने एवं सभी बिन्दुओं की जांच के उपरांत ही श्री कुमार के विरुद्ध रु.90,000/– रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने संबंधी आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित पाया गया। श्री कुमार द्वारा अवैध राशि की उगाही हेतु अपने पद का दुरूपयोग किया गया, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है।

9. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार का लिखित अभिकथन अस्वीकृत करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 के संगत प्रावधान के तहत् "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" साथ ही, निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा का निर्णय लिया गया।

10. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक–15514, दिनांक–21.08.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री कुमार के विरूद्ध विनिश्चित दंड पर परामर्श की माँग की गयी, जिस पर आयोग के पत्रांक–2960, दिनांक–13.10.2025 द्वारा सहमति संसूचित की गयी।

11. श्री कुमार को "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी। साथ ही, निलंबन अवधि में जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने का दंड" संबंधी प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया।

12. राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–09.12.2025 को आहूत बैठक में मद संख्या–11 पर श्री कुमार को सेवा से बर्खास्तगी संबंधी उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

13. तदुपरांत श्री कुमार को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–23188, दिनांक–12.12.2025 द्वारा "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया। साथ ही, निलंबन अवधि में जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा" का निर्णय लिया गया।

14. उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (दिनांक–02.01.2026) समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि :–

(i) श्री कुमार द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया है कि उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी (प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जबकि उनके विरुद्ध आरोप–पत्र भी तत्कालीन सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा ही गठित किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि श्री

कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप–पत्र का गठन जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम द्वारा किया गया है, जो बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०, पटना एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से इस विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

(ii) इनके विरुद्ध गठित आरोप–पत्र में संचालन पदाधिकारी का किसी स्तर पर कोई भूमिका नहीं है। उक्त के अतिरिक्त श्री कुमार द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कही गयी सभी बातें पूर्व में ही विभाग को समर्पित अपने लिखित अभिकथन में भी कहा गया था, जिसके समीक्षोपरांत ही अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को दंड अधिरोपित किया गया है। श्री कुमार द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में ऐसा कोई नया तथ्य/साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिसकी समीक्षा अथवा पुनर्विचार किया जा सके।

15. उक्त वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (दिनांक 02.01.2026) को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–23188, दिनांक–12.12.2025 द्वारा अधिरोपित "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी का दंड को पूर्ववत् बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

16. श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक–23188, दिनांक–12.12.2025 द्वारा अधिरोपित दंड को पूर्ववत् बरकरार रखने संबंधी प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया।

17. राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–20.02.2026 को आहूत बैठक के मद संख्या–29 पर श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन/अर्जी को अस्वीकृत करने एवं "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" संबंधी अधिरोपित दंड को पूर्ववत् बरकरार रखने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

18. अतएव श्री सुधीर कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–475/2024, (787/2019), तत्कालीन ज़िला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन/अर्जी अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–23188 दिनांक–12.12.2025 द्वारा संसूचित दंड यथा **"सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी"** को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(उमेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

आदेश

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–08/आरोप–01–31/2019 सा०प्र०4047/ पटना–15, दिनांक 26-2-26

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) बिहार, पटना/महानिदेशक–सह–मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/रोहतास/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा बेउर, पटना/श्री सुधीर कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–475/2024 (787/2019), सम्प्रति सेवा से बर्खास्त, मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना, कोड–800016/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, 29 एवं आई.टी. मैनेजर (शीर्ष–09 के अंतर्गत विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.2.26

सरकार के अवर सचिव।